

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना  
पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.  
राजस्व वाद संख्या: 38/2022 दायर दिनांक 04.02.2022

- | वादी  | प्रतिवादीगण   |
|---|---|
| 1. समसुदीन पुत्र मजीद<br>खां उम्र 40 वर्ष जाति<br>शैरानी निवासी शैरानी<br>आबाद, तहसील<br>डीडवाना जिला-नागौर,<br>राजस्थान। | 1. कमरुदीन पुत्र अब्दुल मजीद खां उम्र 37 वर्ष<br>2. जफरुदीन पुत्र मजीद खं उम्र 43 वर्ष<br>3. बदरुदीन पुत्र मजीद खां उम्र 46 वर्ष<br>4. अब्दुल सलीम शैरानी पुत्र अब्दुल मजीद खां<br>उम्र 53 वर्ष<br>5. अली मो0 शैरानी पुत्र अब्दुल मजीद खां उम्र<br>55 वर्ष<br>6. अफसाना बानों पुत्री मजीद खां उम्र 28 वर्ष<br>7. गुलशन बानों पुत्री मजीद खां उम्र 41 वर्ष<br>8. रोशन बानो पुत्री मजीद खां उम्र 33 वर्ष<br>समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद<br>तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0<br>9. तहसीलदार डीडवाना। |

बनाम्

दावा बाबत्  
बंटवारा, रेकर्ड दुरुस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-


1. श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री मो0 रफीक वकील प्रतिवादीगण।

--: अन्तिम निर्णय :-

दिनांक 31.08.2022

वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 08 की पैत्रिक संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं0 119 रकबा 1.5900 हैक्टे0, खसरा सं0 124 रकबा 2.0200 हैक्टे0 वाकै सरहद शैरानी आबाद पटवार हल्का शैरानी आबाद भू0 अभि0 नि0 क्षेत्र खाटू खुर्द की भूमि में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 25.04.2022 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 1728 दिनांक 24.08.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1728 दिनांक 24.08.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)




-:: आदेश ::-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद शैरानी आबाद पटवार हल्का शैरानी आबाद भू० अभि० नि० क्षेत्र खाटू खुर्द के खेत खसरा सं० 119 रकबा 1.5900 हैक्टे०, खसरा सं० 124 रकबा 2.0200 हैक्टे० भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1728 दिनांक 24.08.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं० 6 ता 8 व मृतक खातेदार रहमत बानो का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है। तथा प्रतिवादी सं० 1 कमरुद्दीन के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मे मजीद खां के स्थान पर अब्दुल मजीद खां व प्रति० सं० 4 सीलमूदीन के स्थान पर अब्दुल सलीम शैरानी पुत्र अ० मजीद खां व प्रति० सं० 5 अली मो० के स्थान पर अली मो० शैरानी पुत्र अ० मजीद खां किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1728 दिनांक 24.08.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
 (कार्तिकेय मीणा)  
**R.A.S.**  
 सहायक कलक्टर  
 डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

  
 (कार्तिकेय मीणा)  
**R.A.S.**  
 सहायक कलक्टर  
 डीडवाना

डिक्री व मुकदमें इत्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 38/2022

दायर दिनांक 04.02.2022

वादी

प्रतिवादीगण

1. समसुदीन पुत्र मजीद  
खां उम्र 40 वर्ष  
जाति शैरानी निवासी  
शैरानी आबाद,  
तहसील डीडवाना  
जिला-नागौर,  
राजस्थान।

बनाम

1. कमरुदीन पुत्र अब्दुल मजीद खां उम्र 37 वर्ष
2. जफरुदीन पुत्र मजीद खां उम्र 43 वर्ष
3. बदरुदीन पुत्र मजीद खां उम्र 46 वर्ष
4. अब्दुल सलीम शैरानी पुत्र अब्दुल मजीद खां  
उम्र 53 वर्ष
5. अली मो0 शैरानी पुत्र अब्दुल मजीद खां उम्र  
55 वर्ष
6. अफसाना बानों पुत्री मजीद खां उम्र 28 वर्ष
7. गुलशन बानों पुत्री मजीद खां उम्र 41 वर्ष
8. रोशन बानो पुत्री मजीद खां उम्र 33 वर्ष  
समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी  
आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
9. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.


दिनांक 31.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी  
मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी व श्री मो0 रफीक वकील  
प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, अतः हस्व दावा  
डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद शैरानी आबाद पटवार हल्का शैरानी आबाद भू0 अभि0  
नि0 क्षेत्र खाटू खुर्द के खेत खसरा सं0 119 रकबा 1.5900 हैक्टे0, खसरा सं0 124 रकबा  
2.0200 हैक्टे0 भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के  
स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1728 दिनांक 24.08.  
2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काशतकार घोषित किया  
जाता है। प्रतिवादी सं0 6 ता 8 व मृतक खातेदार रहमत बानो का नाम राजस्व रेकर्ड से  
हटाया जाता है। तथा प्रतिवादी सं0 1 कमरुदीन के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में  
मजीद खां के स्थान पर अब्दुल मजीद खां व प्रति0 सं0 4 सीलमूदीन के स्थान पर  
अब्दुल सलीम शैरानी पुत्र अ0 मजीद खां व प्रति0 सं0 5 अली मो0 के स्थान पर अली  
मो0 शैरानी पुत्र अ0 मजीद खां किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1728 दिनांक 24.08.2022 निर्णय एवं डिक्री  
का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।  
बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 31.08.2022 को सरे इजलास में  
जारी की गयी।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

  
 सहायक कलक्टर  
 डीडवाना